दिनांक 26.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 42/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा अलविदा की नमाज एवं आगामी ईद–उल–फितर त्यौहार के दृष्टिगत सुदृढ़ सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को अलविदा की नमाज एवं आगामी ईद–उल–फितर त्यौहार के दृष्टिगत सुदृढ़ सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर दिशा निर्देश दिये गयेः–

- संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करते हुये जोन व सेक्टर स्कीम में पुलिस व्यवस्थापन किया जाये। अतिसंवेदनशील स्थलों पर पुलिस पिकेट/स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती आवश्यतानुसार की जाये।
- किसी नई परम्परा की अनुमति न दी जाय। असामाजिक एवं अवॉछनीय तत्वों की सूची अद्यावधिक कर आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। त्यौहार रजिस्टर में विगत वर्षों की प्रविष्टियों का अध्ययन कर पुराने एवं सम्भावित विवादों का समय से निस्तारण कराया जाये।
- अलविदा की नमाज एवं ईद–उल–फितर त्यौहार के दृष्टिगत शांति समितियों के सदस्यों तथा धर्मगुरूओं के साथ बैठक कर उनका सहयोग प्राप्त किया जाय तथा नागरिक सुरक्षा संगठन के पदाधिकारियों का भी सहयोग लिया जाये।
- समस्त आयोजन स्थलों पर वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर से भ्रमण व समुचित पुलिस/पीएसी बल व उपलब्ध सीएपीएफ के साथ फ्लैग मार्च कराया जाये।
- थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी तथा उनके समकक्षीय मजिस्ट्रेट द्वारा संयुक्त रूप से विवादित स्थानों का भ्रमण कर समस्या का त्वरित समाधान कराया जाय।
- बाजारों, भीड़–भाड़ वाले स्थानो एवं क्षेत्र में पुलिस विजिविल्टी बनाये रखने हेतु फुट पेट्रोलिंग की जाये तथा नियमित रूप से बीडीएस टीम, स्नाईफर डॉग्स द्वारा एण्टीसेबोटाज चेकिंग करायी जाये। बाजारों में पर्याप्त अग्निशमन की व्यवस्था रखी जाये।
- क्यूआरटी टीमों को स्ट्रेटेजिक प्वाइंट पर तैयारी की हालत में रखा जाय।

- भीड़—भाड़ वाले इलाको में असामाजिक तत्वो द्वारा अप्रिय घटना कारित न की जा सके इसके लिये एक्सन प्लान बनाकर उसका पूर्वाभ्यास करा लिया जाये एवं आसूचना तंत्र को सक्रिय रखा जाये तथा छोटी से छोटी सूचनाओं को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुये तत्काल संज्ञान लेकर त्वरित वैधानिक कार्यवाही की जाये।
- ड्रोन कैमरों के माध्यम से मिश्रित/संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी, जुलूस के मार्गों विशेषकर जंक्शन प्वाईण्ट्स आदि पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन कराया जाये।
- सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म की निरन्तर मॉनिटरिंग की जाये तथा उन पर और अधिक सतर्क दृष्टि रखी जाये। असत्य एवं भ्रामक सूचनाओं का तत्काल संज्ञान लेते हुए उनका खण्डन किया जाये तथा आवश्यक्तानुसार विधिक कार्यवाही की जाये।
- यू0पी0—112 के वाहनों का व्यवस्थापन संवेदनशील मार्गों/स्थलों पर किया जाय तथा पुलिस के अन्य पेट्रोलिंग वाहनों द्वारा चिन्हित हॉटस्पॉट्स/संवेदनशील स्थलों पर राजपत्रित अधिकारियों के पर्यवेक्षण में प्रभावी गश्त/पेट्रोलिंग/चेकिंग करायी जाए।
- दंगा निरोधक उपकरणों की गुणवत्ता, उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाये तथा उन्हें महत्वपूर्ण स्थानों पर स्ट्राईकिंग रिजर्व के साथ व्यवस्थापित किया जाये।
- समस्त जनपदों में पोस्टर पार्टी एवं मॉर्निंग चेकिंग टीम को सक्रिय रखा जाय तथा उनके दायित्वों से भली—भॉति अवगत कराकर उन्हें प्रातः काल नियमित रूप से चेकिंग हेतु रवाना किया जाय।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

दिनांक 26.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 43/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी के निधन पर उनकी स्मृति में पुलिस मुख्यालय में शोक सभा का आयोजन</u>

आज दिनांकः 26.03.2025 को पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ स्थित सभागार में श्री हाकम सिंह (आईपीएस–1969) सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक के दिनांकः 07.03.2025 को हुये निधन के परिपेक्ष्य में शोक–सभा का आयोजन किया गया।

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण द्वारा दिवंगत पुलिस अधिकारी को श्रद्वांजलि अर्पित की गयी।

श्री हाकम सिंह जी का जन्म 01 नवम्बर, 1945 को लुधियाना (पंजाब) में हुआ था। श्री हाकम सिंह जी वर्ष–1969 बैच के "भारतीय पुलिस सेवा" के अधिकारी रहे हैं। इमरजेन्सी कमीशन के माध्यम से वह ''भारतीय पुलिस सेवा'' में चयनित होकर प्रशिक्षण के उपरान्त सहायक पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 1976 में भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ समयमान वेतनमान में प्रोन्नत होने के उपरान्त सेनानायक 15वीं वाहिनी पीएसी आगरा, मा0 श्री राज्यपाल के परिसहाय, अपर पुलिस अधीक्षक अलीगढ़, पुलिस अधीक्षक देवरिया, पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) कानपुर, सेनानायक 33वीं वाहिनी पीएसी झांसी, पुलिस अधीक्षक मथुरा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जालौन के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 1986 में 'पुलिस उपमहानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/उप महासमादेष्टा, होमगार्ड्स लखनऊ, पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी सेक्टर लखनऊ, पुलिस उपमहानिरीक्षक फैजाबाद परिक्षेत्र, पुलिस उपमहानिरीक्षक पीटीसी–तृतीय सीतापुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक एटीसी सीतापुर के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 1993 में ''पुलिस महानिरीक्षक'' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस महानिरीक्षक/!प्रधानाचार्य पीटीसी–तृतीय सीतापुर, पुलिस महानिरीक्षक रेलवे इलाहाबाद, पुलिस महानिरीक्षक इलाहाबाद जोन, पुलिस महानिरीक्षक विशेष जाँच लखनऊ, पुलिस महानिरीक्षक शान्ति सुरक्षा बल लखनऊ के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 1998 में

''अपर पुलिस महानिदेशक'' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त अपर पुलिस महानिदेशक रेडियो मुख्यालय लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक/अधिशासी निदेशक, पुलिस आवास निगम, उ0प्र0 लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक, मानवाधिकार लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण मुख्यालय लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक सीबीसीआईडी मुख्यालय लखनऊ के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 2002 में ''पुलिस महानिदेशक" के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस महानिदेशक सीबीसीआईडी लखनऊ, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 एवं पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण उ0प्र0 के पद पर नियुक्त रहे तथा यहीं से अपनी अधिवर्षता आयु पूर्णकर दिनांकः 31.10.2005 को सेवानिवृत्त हुये। श्री हाकम सिंह जी का दिनांकः 07.03.2025 को दुःखद निधन हो गया है।

श्री हाकम सिंह जी ने सेवाकाल में पूर्ण निष्ठा व लगन से कार्य सम्पादित कर पुलिस विभाग को गौरवान्वित किया है। श्री हाकम सिंह जी का लगभग 32 वर्षों से अधिक का सेवाकाल उपलब्धियों से भरा रहा है। सेवाकाल के दौरान इन्हें स्वतंत्रता दिवस वर्ष 2003 के अवसर पर ''दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक'' से सम्मानित किया गया है। श्री हाकम सिंह जी अपनी उपलब्धियों के लिये सदैव हमारी स्मृति में बने रहेंगे।

जनपद भदोही/थाना कोईरौना

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 पीतल का हांडा, 01 ग्राइण्डर मशीन, 01 कम्प्यूटर सीपीयू, 01 गैस सिलेण्डर, 01 इनवर्टर, 01 बैटरी, 01 समरसेबुल**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 26.03.2025 को थाना कोईरौना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कालिंजरा मार्ग नहर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशो ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—महेंद्र घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—शिवफल 3—गौरीशंकर 4—अजय सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 पीतल का हांडा, 01 ग्राइण्डर मशीन, 01 कम्प्यूटर सीपीयू, 01 गैस सिलेण्डर, 01 इनवर्टर, 01 बैटरी, 01 समरसेबुल, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त महेंद्र हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जो थाना कोईरौना पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त महेंद्र के विरूद्ध जनपद भदोही, कमिश्नरेट प्रयागराज के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 30 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोईरौना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—महेंद्र निवासी रामकिशनपुर बसही थाना कोईरौना जनपद भदोही।

2–शिवफल निवासी रामकिशनपुर बसही थाना कोईरौना जनपद भदोही।

3–गौरीशंकर निवासी रामकिशनपुर बसही थाना कोईरौना जनपद भदोही।

4–अजय निवासी ग्राम सरावा थाना ऊंज जनपद भदोही।

बरामदगी

1–चोरी की 01 पीतल का हांडा, 01 ग्राइण्डर मशीन, 01 कम्प्यूटर सीपीयू, 01 गैस सिलेण्डर, 01 इनवर्टर, 01 बैटरी, 01 समरसेबुल।

2–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद कन्नौज/थाना सौरिख

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **नगद रूपये**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 26.03.2025 को थाना सौरिख पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तरिन्द मोड़ हसेरन रोड पर चेकिंग के दौरान बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त कैलाश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से नगद रूपये 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सौरिख पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सौरिख पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कैलाश निवासी उपेर का टाडा प्रेमनगर थाना मोरक जनपद कोटा, राजस्थान।

बरामदगी

1–नगद रूपये।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना दुबग्गा

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 143 ग्राम पीली धातु–05 किलो 208 ग्राम सफेद धातु के आभूषण**
- **घटना में प्रयुक्त एम्बूलेंस आदि बरामद**

दिनांक 26.03.2025 को थाना दुबग्गा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1–गोलू 2–विनय कुमार उर्फ छोटू 3–हंसराज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 143 ग्राम पीली धातु–05 किलो 208 ग्राम सफेद धातु के आभूषण, घटना में प्रयुक्त एम्बूलेंस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.03.2025 को थाना दुबग्गा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दुबग्गा पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना दुबग्गा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गोलू निवासी ग्राम नवादा थाना अतरौली जनपद हरदोई, हालपता रईस नगर ढाल थाना ठाकुरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

2–विनय कुमार उर्फ छोटू निवासी ग्राम नवादा थाना अतरौली जनपद हरदोई, हालपता रईस नगर ढाल थाना ठाकुरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

3–हंसराज निवासी ग्राम मसीढा थाना माल कमिश्नरेट लखनऊ, हालपता तहसीलगंज थाना ठाकुरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

1–चोरी के 143 ग्राम पीली धातु–05 किलो 208 ग्राम सफेद धातु के आभूषण।

2–घटना में प्रयुक्त एम्बूलेंस आदि।

जनपद संतकबीरनगर/थाना दुधारा

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 50 हजार रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 26.03.2025 को थाना दुधारा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नूर मोटर गैरेज के पास से 02 अभियुक्तों 1–जीशान अहमद 2–मो0अरमान को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया एवं 01 बाल अपचारी को बाल संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 50 हजार रूपये नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 23/24.03.2025 को थाना दुधारा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना दुधारा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जीशान अहमद निवासी बढ़यामाफी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

2–मो0अरमान निवासी बढ़यामाफी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी

1–चोरी के 01 लाख 50 हजार रूपये नगद आदि।

जनपद झांसी/थाना प्रेमनगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 09 दो पहिया वाहन, 01 थ्री व्हीलर, 01 ट्रैक्टर**
- **06 भिन्न–भिन्न चाभियां**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 26.03.2025 को थाना प्रेमनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्रोथ सेंटर के पीछे नगर वाले रास्ते के किनारे जंगल से 02 अभियुक्तों 1–राकेश 2–हरिपत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 दो पहिया वाहन, 01 थ्री व्हीलर, 01 ट्रैक्टर, 06 भिन्न–भिन्न चाभियां, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राकेश निवासी करेरा जनपद शिवपुरी, म0प्र0।

2–हरिपत निवासी करेरा जनपद शिवपुरी, म0प्र0।

बरामदगी

1–चोरी की 09 दो पहिया वाहन, 01 थ्री व्हीलर, 01 ट्रैक्टर।

2–06 भिन्न–भिन्न चाभियां

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद हाथरस/थाना कोतवाली नगर

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के माल बिक्री के 01 लाख 50 हजार रूपये नगद**
- **चोरी की गाडियों के भारी मात्रा में कटे हुए पार्टस, नम्बर प्लेट आदि**
- **07 मोबाइल फोन**
- **01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 26.03.2025 को थाना कोतवाली नगर व एन्टी थेप्ट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नन्दलालपुर खन्दौली के पास से 05 अभियुक्तों

1–सिद्धार्थ 2–सूरज 3–प्रमोद 4–आरिफ 5–अमन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के माल बिक्री के 01 लाख 50 हजार रूपये नगद, चोरी की गाडियों के भारी मात्रा में कटे हुए पार्टस, नम्बर प्लेट आदि, 07 मोबाइल फोन, 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सिद्धार्थ निवासी छिली ईट रोड थाना हरिपर्वत कमिश्नरेट आगरा।

2–सूरज निवासी आजद नगर खन्दारी थाना हरिपर्वत कमिश्नरेट आगरा।

3–प्रमोद निवासी लक्ष्मीनगर थाना कोतवाली नगर जनपद हाथरस।

4–आरिफ निवासी पुरानी शिवपुरी थाना फिजिकल जनपद शिवपुरी मध्यप्रदेश।

5–अमन निवासी पुरानी शिवपुरी, इमामवाडा देहात जनपद शिवपुरी मध्यप्रदेश, हालपता इन्दिरा नगर थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस।

बरामदगी

1–चोरी के माल बिक्री के 01 लाख 50 हजार रूपये नगद।

2–चोरी की गाडियों के भारी मात्रा में कटे हुए पार्टस, नम्बर प्लेट आदि।

3–07 मोबाइल फोन।

4–01 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद कुशीनगर/थाना अहिरौली बाजार

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 03 मोटर साइकिल**
- **चोरी के 04 सोलर पैनल, 01 पम्पिग सेट, 01 मोटर पम्प, 02 टुल्लू, 01 बैट्री, 02 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 26.03.2025 को थाना अहिरौली बाजार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 04 अभियुक्तों 1–अनीश 2–विशाल उर्फ साधू 3–सुनील उर्फ भुअर 4–भुआल

को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 03 मोटर साइकिल, चोरी के 04 सोलर पैनल, 01 पम्पिंग सेट, 01 मोटर पम्प, 02 टुल्लू, 01 बैट्री, 02 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना अहिरौली बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनीश निवासी विशुनपुरा थाना अहिरौली बाजार जनपद गोरखपुर।

2–विशाल उर्फ साधू निवासी विशुनपुरा थाना अहिरौली बाजार जनपद गोरखपुर।

3–सुनील उर्फ भुअर निवासी विशुनपुरा थाना अहिरौली बाजार जनपद गोरखपुर।

4–भुआल निवासी विशुनपुरा थाना अहिरौली बाजार जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 03 मोटर साइकिल।

2–चोरी के 04 सोलर पैनल, 01 पम्पिंग सेट, 01 मोटर पम्प, 02 टुल्लू, 01 बैट्री, 02 मोबाइल फोन आदि।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना विजयनगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी के 06 लाख रूपये नगद**
- **धोखाधड़ी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 26.03.2025 को थाना विजयनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन विजयनगर से 02 अभियुक्तों 1–लड्डू 2–गंगा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के 06 लाख रूपये नगद, धोखाधड़ी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना विजयनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—लड्डू निवासी ग्राम ठिकरिया थाना नागल जनपद दोसा राजस्थान, हालपता कनावनी थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2—गंगा निवासी गंजखेली निकट रेलवे लाइन थाना गंजखेली जनपद अलवर राजस्थान, हालपता ग्राम कनावनी थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1—धोखाधड़ी के 06 लाख रूपये नगद।

2—धोखाधड़ी के सोने—चाँदी के आभूषण आदि।

जनपद बाराबंकी/थाना रामनगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 05 ग्राम अवैध मारफीन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 25.03.2025 को थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिकनापुर मोड़, अमौसीकलां के पास से 02 अभियुक्तों 1—साहिल 2—तौसिफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 05 ग्राम अवैध मारफीन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना रामनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—साहिल निवासी ग्राम रजनापुर थाना रामनगर जनपद बाराबंकी।

2—तौसिफ निवासी ग्राम सूरतगंज थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—लगभग 01 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 05 ग्राम अवैध मारफीन।

2—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना मोतीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 03 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना मोतीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/323/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रामप्रताप 2–कमलेश को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 03 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद रामपुर/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 32–32 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रामपुर द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/120बी/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राहुल 2–अरूण 3–रवि 4–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 32–32 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद रायबरेली/थाना खीरों (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 28–28 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद रायबरेली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रायबरेली द्वारा थाना खीरों पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/323/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–इमरान 2–इब्राहिम 3–इरफान 4–अंसार को आजीवन कारावास व 28–28 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राजाराम को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जौनपुर/थाना नेवढ़िया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना नेवढ़िया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–मोनू उर्फ सचिन 2–चंदन उर्फ संदीप 3–विरेन्द्र को आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद चन्दौली/थाना सकलडीहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चन्दौली द्वारा थाना सकलडीहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(1)/366 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त हरिनारायण को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना पिहानी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना पिहानी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नीलू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————